

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायतीराज अनुभाग-03
संख्या : 2312 / 33-3-17-42 / 2015
लखनऊ : दिनांक 03 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

जैव विविधता के संरक्षण उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग के उद्भूत फायदों में उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 में प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर पर प्रावधानित जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन एवम् धारा 42 से धारा 47 में स्थानीय जैव विविधता निधि की स्थापना हेतु अनिवार्य प्राविधान किए गए हैं।

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन्, 1947) की धारा-29 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों की सहायता के अभिप्राय के समिति के संघटन हेतु अधिसूचित करते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत उक्त अधिनियम में प्रावधानित कृत्यों के सम्पादन में ग्राम पंचायतों की सहायता हेतु ग्राम पंचायत जैव विविधता प्रबन्ध समिति का संघटन करेगी और अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को प्रतिनिहित कर सकेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय अथवा वह उचित समझे।

ऐसी समिति को आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे अन्य कार्य भी सौंपे जा सकेंगे जैसा कि वह उचित समझे।

ग्राम पंचायत जैव विविधता प्रबन्ध समिति का सभापति प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत पदेन सचिव होगा।

उपर्युक्त समिति में सम्बन्धित पंचायत के 06 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें से प्रत्येक समिति में कम से कम 02 महिला, 01 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा 01 पिछड़े वर्ग का सदस्य होगा। समितियों के सदस्यों का चुनाव सम्बन्धित पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा।

समिति द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों से सम्बन्धित उपभोक्ताओं या उपभोक्ता समूहों या हितकों में से ऐसे नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों और अन्य विषयवस्तु विशेषज्ञों जैसा कि राज्य सरकार अपेक्षा करे अथवा ग्राम पंचायत उपयुक्त समझे, को सभापति द्वारा समिति की बैठक में विशेष आमंत्रि के रूप में बुलाया जा सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि विशेष आमंत्रि के रूप में बुलाये जाने वाले ऐसे उपभोक्ता या उपभोक्ता समूह या हितकों में से नामित व्यक्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में उसके द्वारा ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति का कोई कर, फीस दर या कोई अन्य देय बकाया न हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी बैठक में ऐसे विशेष आमंत्रियों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी।

विशेष आमंत्रियों को समिति की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु किसी प्रस्ताव पर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। समिति ऐसे विशेष आमंत्रियों के सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उन्हें समिति की कार्यवाही में अभिलिखित करेगी।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत निर्मित उ०प्र० पंचायत राज (ग्राम पंचायत समितियों का अपने कृत्यों के सम्पादन में सहायता के लिए संगठन) नियमवाली 2002 के अन्य उपलब्ध उक्त समिति पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों उक्त समिति में उक्त नियमवाली में वर्णित एक समिति हो।

समिति के कृत्य एवम् दायित्वों के सम्बन्ध में उ०प्र० राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथावश्यक निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव,

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वन एवम् पर्यावरण, उ०प्र० शासन।
- 2- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- सचिव, उ०प्र०, राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ।
- 6- समस्त उप वन संरक्षक, उ०प्र०।
- 7- मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०।
- 8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

J. B. Singh
(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।